संस्थान के परिसर में स्थित

छात्रावास–II में कैन्टीन चलाने हेतु

निविदा प्रपत्र

निविदा संख्या–13 / 2019–20

lEink dk;ky;

भा. प्रौ. सं. कानपुर

द्वारा जारी

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर

सम्पदा कार्यालय

कक्ष संख्या 101–डी (संकाय भवन) (दूरभाषः 0512–259–7166,7327)

Hkkjrh; ik|kfxdh lLFkku dkuij

lEink dk;ky; ¼njHkk"k: 0512-259-7166, 7327 ईमेल : eoffice@iitk.ac.in½
d{k l[;k 101 Mh ¼ldk; Hkou½

fufonk l[;k o fnukd	13@2019&20 fnukd% 03-09-2019
dk;@lok dk uke	dUVhu pykus grq
dk;LFky	Nk=kokl&**II**
nqdku dk {k=Qy	42-66 oxZ ehVj
ekfld ykbl l 'kqYd dh vk/kkj nj	:0 106-00@&ifr oxZ ehVj
c;kuk jkf'k ¼bZ0,e0Mh0½	:0 10]000@&
vkmVyV@'kki dh dk;kof/k	vijkgu 02%00 ct l e/;jkf= 2%00 ct rd
fufonk tek djus dh vfre frfFk o le;	25-09-2019 dks vijkg्न 3%00 ct rd
fufonk tek djus dk LFkku	lEink dk;ky;] vkbZ0vkbZ0Vh0 dkuiqj&208016
rduhdh ckfy;ks[kkyus dh frfFk vkj le;	25-09-2019 dks vijkg्न 4%00 ct
foRrh; ckfy;k [kkyus dh frfFk vkj le;	25-09-2019 dks vijkg्न 4%30 ct
fufonk [kqyus dk LFkku	lEink dk;ky;] vkbZ0vkbZ0Vh0 dkuiqj&208016
fufonk MkmuykM djus dk oc fyd	www.iitk.ac.in/estateoffice/tender

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

Hkkjrh; ik|kfxdh lLFkku dkuiqj

lEink dk;kZy; d{k l[;k 101&Mh ¼ldk; Hkou½]nqjHkk"k 0512-2597166]7327½

fufonk lwpuk l0 13@2019&20

fnukad% 03-09-2019

Hkkjrh; ik|kfxdh lLFkku ,rn~i'pkr ^lLFkku* ds :Ik es mYysf[kr fd;k x;k gS ¼dh LFkkiuk lUln }kjk dh xbZ gS ftls fuxfer fudk; ds :Ik esa lfEefyr fd;k x;k gS bLVhV;wV vkQ VSDuksyksth ,DV 1961 ds rgr lLFkku dks jk"Vªh; egRo dk ,d lLFkku ?kksf"kr fd;k x;k gSA lLFkku ik|kfxdh ,oa foKku ds {ks= esa mPpre Lrj dh f'k{kk iznku djus dk dk;Z dj jgk gSA

i"B l[;k&2 ds vuqlkj lLFkku ds ikl ,d vkmVyqV@'kki ifjlj esa miyC/k gS ftldks lLFkku ,sls bPNqd 0;fDr dks ykblsl ds vk/kkj ij viuh LokfeRo@iHkkjRo ds rgr bl ifjlj dh nqdku dks lpkfyr djus ds fy, nsuk pkgrk gS ftuds ikl bl ifjlj dk vkmVyqV pykus dk vuqHko gks vkj lLFkku lennk; dh lEcfU/kr t:jrks dh iwfrZ dj ldsA

rnuqlkj] lhycn ckyh] Hkkjrh; ik|kfxdh lLFkku dkuiqj dh vksj ls bPNqd ikfVZ;ks ls ifjlj esa mijksDr LFkku ij bl rjg dh nqdku pykus ds fy, fufonk vkefU=r dh tkrh gSA

vkond }kjk fof/kor Hkjs x, fu/kkfjr fufonk ii= dks lEink dk;kZy; esa i"B l[;k&2 esa fn;s x, le; ,oa fnu ds vuqlkj fufonk ckDl esa Mky ldrs gSA

1- fufonk,s i"B l[;k&2 esa mfYyf[kr le;kuqlkj lLFkku dh fufonk lfefr ds le{k rFkk vf/kd`r ifrfuf/k;ksa dh mifLFkfr esa [kksyh tk,xhA ckyhnkrk dks iLrqfr ds fy, fufonk lfefr ds le{k ¼viuh dhiuh@QeZ dh dk;Zi.kkyh ls lEcfU/kr ii'uks dk mRrj nus gsrq½ lk{kkRdkj nsuk gksxkA

2- dsoy rduhdh :Ik ls ;kX; ckyhnkrkvks dh foRrh; ckfy;k i"B l[;k&2 esa fn;s x, fnukad vkSj le; ds vuqlkj [kksyh tk,xhA

3- lLFkku fcuk dkj.k crk, fdlh Hkh fufonk dks Lohdkj@vLohdkj djus dk vf/kdkj j[krk gSA

---- g0@& ----
lgk;d dqylfpo o iHkkjh vf/kdkjh] lEink

ifrfyfi%

1- mifuns'kd
2- Mhu]i'kklu@v/;{k] lhbZ,e,elh
3- lwpuk iVV
4- lLFkku dh osclkbVA

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

ifjf'k"B&,

fufonkdrkZ ds fy, fn'kk&funsZ'k

lkekU;%

1- ;g vuqcU/k Hkkjrh; izkS|ksfxdh laLFkku dkuiqj ds Nk=kokl&II] esa dSaVhu pykus ds fy, gSA ;g vuqcU/k lQy cksyhnkrk dks mfYyf[kr 0;olk;] ykblsal dh vk/kkj ij vkxs fufnZ"V fu;e o 'krksa ij pykus gsrq fn;k tk,xkA vuqcU/k dh fu;e o 'krsa ifjf'k"V&ch esa lekfgr gSA

2- ;fn cksyhnkrk ,d LokfeRo QeZ gS rks cksyhnkrk ds gj i"B ij gLrk{kj gksus pkfg,A vkSj ;fn cksyhnkrk ,d lk>snkj QeZ gS rks ,d ikVZuj }kjk gj i"B ij gLrk{kj gksus pkfg,A gkykafd] lk>snkjh okyh QeZ ds ekeys esa] lHkh lg;ksfx;ksa ls bl lEcU/k esa ,d ikf/kdj.k gksuk pkfg, fd Hkkxhnkj ds :Ik esa cksyh ij gLrk{kj djus okys 0;fDr dks lHkh Hkkxhnkjksa dh rjQ ls cksyh mLrkost ij gLrk{kj djus ds fy, vf/kd`r fd;k x;k gSA

3- ;fn dksbZ cksyh iR;sd i"B ij gLrk{kfjr ugha dh xbZ gS vkSj ikf/kdj.k jfgr gS] rks ,slh cksyh dks vLohdkj fd;k tk ldrk gSA

4- Cksyh nLrkost esa dksbZ Hkh vf/kys[ku ;k dVkfrh ugha dh tkuh pkfg,A ;fn dqN vifjgk;Z dkj.kksa ls vf/kys[ku ;k dkVuk iMrk gS] rks ml 0;fDr dks cksyh nLrkost ij fof/kor :Ik ls gLrk{kj dj ds iekf.kr djuk pkfg,A

5- cksyh nLrkost esa dksbZ Hkh vf/kys[ku ;k dVkfrh ugha dh tkuh pkfg,A ;fn dqN vifjgk;Z dkj.kksa ls vf/kys[ku ;k dkVuk iMrk gS] rks ml 0;fDr dks cksyh nLrkost ij fof/kor :Ik ls gLrk{kj djds iekf.kr djuk pkfg,A

6- fufonkdrkZ dks fufonk i= esa ifjorZu djus dh vuqefr ugha gSA bl rjg ds ifjo/kZu vkSj ifjorZu dks fufonkdkj viuk tksf[ke ij tek djsxs vkSj bl rjg dh fufonk dks lljljh rkSj ij vLohdkj dj fn;k tk,xkA l'krZ fufonk,sa Lohdkj ugha dh tk,xhA

7- fufonkdkj vuqyXud&1 ds vuqlkj viuk iw.kZ LFkk;h vkSj i=kpkj irk lEcfU/kr iek.k i= ds lkFk iLrqr djsA

8- ftl cksyhnkrk dh cksyh dks Lohdkj fd;k tk;xk] mls nkuuk i{kksa }kjk gLrk{kfjr vuqcU/k djkj rS;kj djus ds fy, lEinkk dk;kZy; esa 100 :Ik;s dk xSj&U;kf;d LikEi isij iLrqr djuk gksxkA

9- vuqyXud&1 ds Hkkx 3 esa lHkh oLrqvksa dh dher Hkkjrh; :Ik, esa mn/kr dh tkuh pkfg, tks fd th,lVh o vU; ljdkjh djksa lfgr gksuh pkfg,A

Ikk=rk ekinaM%

10- Cksyh yxkus okys dks ljdkjh@v/kZ&ljdkjh@Lok;Rr fudk;@ifrf"Br laLFkku esa bl rjg dk vkmVysV pykus dk de ls de rhu o"kZ dk vuqHko gksuk pkfg,A bPNqd cksyhnkrk viuk vuqHko@{kerk ds I;kIr iek.k ds lkFk vkonu dj ldrk gSA

11- vkmVysV dks lqpk: :Ik ls pykus ds fy, cksyhnkrk ds ikl dk;Z'khy iwath ds ekeys esa vPNh foRrh; fLFkfr gksuk pkfg,A cgrj foRrh; fLFkfr okys 0;fDr@QeZ dks ikFkfedrk nh tk,xhA

12- cksyhnkrk ds ikl iSu uEcj vkSj th,lVh@th,lVhvkbZ,u uEcj dk iathdj.k gksuk vko';d gSA ftl cksyhnkrk dh cksyh Lohdkj dh tk,xh] mls] ;fn lEcfU/kr dkuwu vko';d gS rks] vkmVysV ds fy, ,d th,lVh uEcj jftLVj djkuk gksxkA

13- cksyhnkrk ds ikl lEcfU/kr foHkkxksa ds dkuwuh dk;kZy;ksa ls deZpkjh jkT; chek vf/kfu;e vkSj deZpkjh Hkfo"; fuf/k vf/kfu;e ds rgr viuk dksM uEcj gksuk pkfg,A

14- ftl cksyhnkrk ds ikl laLFkku ifjlj esa igys ls gh ,d vU; ifrf"Bku@nqdku vkfn gS ml QeZ dk ortwnk vkmVysV ds izn'kZu ds vk/kkj ij cksyh Lohdkj dh tk,xhA ftl cksyhnkrk ds ikl laLFkku ifjlj esa igys ls gh nks ;k nks ls vf/kd ifrf"Bku@nqdku vkfn gS] ml cksyhnkrk dh cksyh ij fopkj ugha fd;k tk,xkA ;fn fdlh cksyhnkrk dks laLFkku ds lkFk igys ls gh fdlh Hkh izdkj dh ed`dnesckth py jgh gS rks ml cksyhnkrk dks bl fufonk izfdz;k esa Hkkx yssus ls ofTkZr fd;k tk,xkA deZpkjh o Nk=ksa ds fj'rsnkjksa dks cksyh iLrqr djus dh vuqefr ugha gSA

c;kuk jkf'k ¼b,eMh½

15- iR;sd fufonk ds lkFk :0 10]000@& dh bZ,eMh ,QMh vkj@MhMh ds :Ik esa fdlh Hkh vuqlwfpr cSad ls 'Registrar, IIT Kanpur' ds uke ns; gksuh pkfg,] tek djuk vfuok;Z gSA mDr bZ,eMh ds fcuk Mkyh x;h fufonk ij fopkj ugha fd;k tk,xkA bZ,eMh jkf'k pSd ds :Ik esa Lohdkj ugha dh tk,xhA

16- ;fn lQy fufonkdrkZ le>kSrs ij gLrk{kj djus esa nsjh] cgkusckth] ;k bUdkj djrk gS rks mlds }kjk tek fd;k x;k c;kuk jkf'k {kfr ds :Ik esa tCr fd;k tk ldrk gSA

17- ;fn lQy fufonkdrkZ vuqcU/k dh 'krksa ds mYya?ku esa viuk fufonk okil ys ysrk gS vkSj tks viuh o)/krk dh vof/k ds Hkhrj viuh fufonk Lohdkj djus ds ckn vuqcU/k cka.M ij gLrk{kj djus ls euk dj nsrk gS rks ,slh fLFkfr esa mlds }kjk tek fd;k x;k c;kuk /ku tCr fd;k tk ldrk gSA

18- Cksyh yxkus ds ifdz;k iwjh gksus ds ckn vlQy cksyh yxkus okyksa dh bZ,eMh okil dj nh tk,xhA
क- lEcfU/kr cksyhnkrk ds fyf[kr vuqjks/k dh ikfIr ds 30 fnuksa ds Hkhrj bZ,eMh jkf'k ykSVk fn;k tk,xkA
ख- bZ,eMh U;wure rhu eghuksa dh vof/k ds fy, ekU; gksuk pkfg,A

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

ग- lQy ckyhnkrk dh bl,eMh jkf'k] ifjf'k"B&c esa nh xbZ 'krksZa esa fu/kkZfjr tekur jkf'k tek djus ds ckn okil fd;k tk,xkA

fufonk ds lkFk layXu fd, tkus okys nLrkost%

19- Ckksyh yxkus okys 0;fDr dks rduhdh cksyh ds lkFk fuEufyf[kr nLrkostksa dh Nk;kizfr layXu djuh gksxhA mfYyf[kr nLrkostksa ds fcuk dksbZ rduhdh cksyh tek dh tkrh gS rks mls lh/ks fujLr fd;k tk ldrk gSA

क- vk;dj iSu dkMZ i=@iSu uEcjA

ख- fiNys ,d lky ds cSad LVsVesaVA

ग- QeZ@dEiuh iathdj.k izek.k i=A

घ- th-,l-Vh- iathdj.k izek.k i= uEcjA

ङ- bZih,Q iathdj.k izek.k i=@dksM uEcj@bZ,lvkbZ iathdj.k izek.k i=@dksM uEcjA

च- vU; o/kkfud iathdj.k ykbZlsal ¼;fn dksbZ gks½A

छ- cSad lkyosalh lfVZfQdsVA

ज- vuqyXud&1 esa cksyh tek djus okyh QeZ dk fooj.k ¼ikVZ&1] 2 ,oa ikVZ&3½A

झ- orZeku esa cksyhnkrk }kjk pyk, tk jgs nqdkuksa dh dqy la[;k ¼ikip ls vf/kd ugha½ ,oa mudk foLr`r fooj.k

ञ- vkdf{kr rqyu i= ds lkFk&lkFk fiNys rhu o"kksZa ds dqy dkjksckj ,oa ykHk@gkfu lfgr ykHk ,oa gkfu [kkrk dk izek.k i=

ट- fufonk tek djus okyh QeZ dh vksj ls fufonk ij gLrk{kj djus okys 0;fDr ds i{k esa vf/kdkj&i=@lsdYi i=

ठ- :0 10]000@& ¼nl gtkj :Ik;s½ dk cSad MªkQV c;kuk jkf'k ds :Ik esaA

ड- vkosnd ds irs dk izek.ki= dh izfrA

ढ- FSSAI izek.k i= ¼;fn miyC/k gks½

ण- QeZ@0;fDr ds lkFk dke djus okys deZpkfj;ksa dk fooj.k@lwph

त- vko';d le>s tkus okys vU; nLrkost tks fufonk nLrkost iSdsV/kkjdksa ds rgr vfuok;Z gksa rFkk ftudk mYys[k Åij u fd;k x;k gksA

fufonk izLrqr djus dh izfd;k

20- fufonk nks Hkkxksa esa izLrqr dh tk,xh% ¼1½ rduhdh cksyh vkSj ¼2½ foRrh; cksyh

क- rduhdh cksyh% rduhdh cksyh esa lHkh iw.kZ fufonk nLrkost ftlesa ifjf'k"B&,] ifjf'k"V&ch vkSj vuqcU/k&1 ¼ikVZ 1] 2 ,oa 3½ esa 'kkfey gSA blds lkFk&lkFk] fcUnq&18 esa fn;s x, nLrkostksa dks Hkh layXu fd;k tk;sA rduhdh cksyh dks ,d lhycan fyQkQs esa j[kk tkuk pkfg, ftl ij fy[kk gks ^^rduhdh cksyh** lkFk gh mls nqdku dk uke vkSj LFkku fyQkQs ij lkQ&lkQ fy[kk gksuk pkfg,A

ख- foRrh; cksyh%

- foRrh; cksyh layXud 2 esa izLrqr dh tk,sxhA
- bl nLrkost ds i"B 2 ij vk/kkj nj dk mYys[k fd;k x;k gSA ckfy;k tek djus dh rkjh[k ij cksyh yxkus ds fy, vk/kkj ykbZlsal 'kqYd ¼vk/kkj nj½ ds vuqlkj gksxkA tSlk fd] cksyhnkrkvksa dks mDr vk/kkj nj ds Åij viuh foRrh; ckfy;ksa mn/k`r djuh iM+rh gSA
- vk/kkj nj ds cjkcj ;k mlls uhps izLrqr dh cksyh Lohdkj ugha dh tk,xh rFkk lkQ [kkfjt dj nh tk,xhA
- lLFkku ykbZlsal 'kqYd ds vk/kkj nj ds cjkcj ykbZlsal 'kqYd ekunaMksa ds vuqlkj lLFkku ds [kkrs esa tek djus ds fy, gdnkj@l{ke gksxk vkSj ckdh ;kuh cksyh esa fu/kkZfjr mPp nj ls ckgj dh 'ks"k jkf'k lLFkku ds fooksd ij fdlh vU; [kkrs iseaV[k esa tek dh tk ldrh gSA
- foRrh; cksyh dks ,d vyx eqgjcan fyQkQs esa j[kk tkuk pkfg, ftl ij fy[kk gks ^^foRrh; cksyh** lkFk gh mls nqdku dk uke vkSj LFkku fyQkQs ij lkQ&lkQ fy[kk gksuk pkfg,A
- rduhdh cksyh vkSj foRrh; cksyh nksuksa dks ,d vyx fyQkQs esa lhycan fd;k tk;sA mlds ckn lEink dk;kZy; dejk la0 101&Mh ¼lEink; Hkou½ Hkk-iks-la- dkuiqj esa j[ks x, fufonk iszVh esa] i"B la0 2 ij fn, x, fu/kkZfjr fnu vkSj le; ds vuqlkj Mkyk tk ldrk gSA
- ,d gh fyQkQs esa rduhdh cksyh vkSj foRrh; cksyh Mkyus okys fufonkdkrk dh cksyh dks iw.kZ :Ik ls [kkfjt dj fn;k tk,xkA

21- i"B la0 02 ij fufnZ"V frfFk ,oa le; ds i'pkr~ dksbZ Hkh fufonk izkIr gksrh gS rks mls fufonk dks fdlh Hkh ifjfLFkfr esa Lohdkj ugha fd;k tk,xk vkSj bl lEcU/k esa fdlh Hkh izdkj dk Li"Vhdj.k ¼tSls fd Mkd dh xyrh ls fufonk tek djus esa gqbZ nsjh½ ij /;ku ugha fn;k tk,xkA

22- fufonk [kqyus ds i'pkr~ fufonk 30 fnu ds fy, o/k gksxhA fufonk tek djus ds i'pkr ;g ekuk tk,xk fd cksyh yxkus okys 0;fDr us 30 fnu dh vof/k dh Lohd`fr gsrq fufonk dks [kqyk j[kk tk,xkA bl izdkj 30 fnu dh vof/k lekIr gksus ls iwoZ fdlh Hkh ifjfLFkfr esa mlds viuh fufonk okil, ysus dk vf/kdkj ugha gksxkA ;fn 30 fnu dh vof/k

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

d i'pkr ykblsal/kkjd dks blds Lohdfr dh lpwuk nh tkrh gS rks fufonkdrkZ dks bls vLohdkj djus dk vf/kdkj gksxkA

<u>fufonkvksa dk [kqyuk%</u>

23- lcls igys i"B la0 2 ij fn;s x, fnu ,oa le; dks vuqlkj ckyh yxkus okys vf/kdkjh ifrfuf/k;ksa vkSj lEcfU/kr fufonk lfefr ds lnL;ksa ds le{k rduhdh fufonk [kksyh tk,xhA ckyh yxkus okys O;fDr;ksa dks iLrqfrdj.k@lk{kkRdkj gsrq ¼viuh dEiuh@QeZ dh dk;Z&i.kkyh ls lEcfU/kr lokyksa ds lkFk½ tokc nsus ds fy, lfefr ds le{k iLrqr gksuk gksxkA

bl ds i'pkr dejy rduhdh :i ls ;ksX; ik;h x;h fufonkvksa dh foRrh; ckyh i"B la0 02 ij fufnZ"V rkjh[k vkSj le; ds vuqlkj [kksyh tk,xhA

24- ftl Hkh fufonkdrkZ dh fufonk Lohdkj dh tkrh gS mls fufonk feyus ds 10 fnu ds vUnj vuqcU/k ij gLrk{kj djus gksxsA ;fn lEcfU/kr O;fDr 10 fnu ds vUnj vuqcU/k ij gLrk{kj djus esa vlQy jgrk gS rks mldh vfxze tek jkf'k dks tCr dj fy;k tk,xk rFkk lLFkku viuh foosdkf/kdkj ij fufonk dks jn~n dj ldrk gSA

<u>fufonk eY;kadu ds ekun.M</u>

25- fiNys ikap o"kZ ;k ck.M oY;q ds vk/kkj ij rduhdh ckyh eY;kadu ds nkSjku ckyh yxkus okyksa dks 0-8 ls 1-2 dh lhek esa eY; lek;kstu QSDVj fn;k tk;sxkA doy rduhdh :i ls ;kX; ckyhnkrkvksa dh foRrh; ckfy;ksa [kksyh tk,xhA vuqcU/k mls ckyhnkrk dks fn;k tk,xk] tks U;wure ;ksx ¼eY; lek;kstu QSDVj X ckyh esa oVM dherksa dk ;ksx½ gksxkA

<u>fufonk dh Lohdfr@vLohdfr</u>

26- og ckyhnkrk ftldh foRrh; ckyh mPpre gksxh] dks mDr ifjlj esa ifjpkyu pykus ds fy, fufonk iznku dh tk,xhA gkykafd bl fufonk dh ;g 'krZ gS fd mDr ifjlj esa igys ls ekStwn ykblsalh dks nqdku@ifjlj esa dCtk dk igyk vf/kdkj gksxk] c'krsZ ekStwnk ykblsal/kkjh ikfIr mPpre ckyh dh njksa ls esy [kkus ds fy, rS;kj gks vkSj mlus rduhdh ckyh eY;kadu mRrh.kZ fd;k gksA

27- ,slh fufonk,a tks mfYyf[kr 'krksZ dks iwjk ugha djrh vFkok fdlh Hkh :Ik esa v/kwjh gS dks fujLr ekuk tk,xkA

28- fcuk dksbZ dkj.k crk, lLFkku ds ikl fdlh vFkok lHkh fufonkvksa dks Lohdkj@vLohdkj djus dk vf/kdkj lqjf{kr gS rFkk ckyh yxkus okys O;fDr ds ikl blds pqukSrh nsus dk dksbZ vU; vf/kdkj ugha gksxkA

fufonkdrkZ ds gLrk{kj --

fufonkdrkZ dk uke --

iwjk irk o eksckby u0--

अनुबंध संबंधी नियम एवं शर्तें

1. अनुबंध मे संस्थान के Nk=kokl&II e¡ dUVhu के लिए आवश्यक सभी कच्चे माल की आवश्यक व्यवस्था शामिल है। इसमे परिवहन , सामग्री की लागत और श्रम भी शामिल होंगे। ठेकेदार सामग्री के भंडारण और अपने कर्मचारियो के लिए आवास आदि की व्यवस्था स्वय करगें।

परिभाषा

2. इस अनुबंध में निविदाकर्ता के लिए निम्नलिखित परिभाषा, शब्द एवं अभिव्यक्तियां विनिर्दिष्ट की गई हैं का अनुबंध में उल्लिखित का ही प्रयोग किया जाएगा।
   क. "सी.ई.एम.एम.सी." से तात्पर्य निदेशक द्वारा गठित 'व्यावसायिक प्रतिष्ठान जाँच एवं प्रबंधन समिति' से है ।
   ख. "लाइसेंसधारक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों, फर्म या कंपनी से है जिसकी निविदा संस्थान द्वारा स्वीकृत की गई हो। इसमें लाइसेंसधारक के प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी एव स्वीकृत वारिस शामिल होंगे।
   ग. "निदेशक" से तात्पर्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के निदेशक से है ।
   घ. "संस्थान" से तात्पर्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से है जिसका प्रतिनिधित्व निदेशक अथवा उसका प्रतिनिधि होगा।
   ड. "प्रभारी अधिकारी (संपदा)" से तात्पर्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के संपदा कार्यालय के प्रभारी अधिकारी से है जो इस अनुबंध से संबंधित समस्त प्रशासनिक कार्रवाई को निष्पादित करेंगें।
   च. ''वार्डेन'' से तात्पर्य सम्बन्धित छात्रावास के वर्डेन–इंचार्ज तथा अन्य वार्डेन से है।

अनुबंध संबंधी दस्तावेज

3. परिशिष्ट–ए अर्थात् बोलीदाता हेतु दिशा–निर्देश, परिशिष्ट–बी अर्थात् अनुबंध संबंधी नियम एवं शर्तें, आवेदन एवं घोषणा अनुलग्नक–1 (भाग–1 एवं 2), मात्रा की कीमतों का शेड्यूल–(अनुलग्नक–1 का भाग–3) अनुलग्नक–2 मे वित्तीय बोली, संस्थान द्वारा सफल बोलीदाता को जारी किए गए अधिनिर्णय अनुबंध और इस सम्बन्ध में सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत स्वीकृति पत्र इस अनुबंध–पत्र का अभिन्न हिस्सा होगा।

अनुबंध की अवधि

4. यह लाइसेंस अनुबन्ध की अवधि **दिनांक ....** से प्रारम्भ में एक साल के लिए होगी। पहले तीन महीनें परिवीक्षा की अवधि होगी और परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक पूरा होने पर, अनुबंध को स्वचालित रूप से शेष वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा, अर्थात् अगले नौ महीने। इसके बाद, पिछले साल के प्रदर्शन के आधार पर अनुबंध को दो साल के लिये बढ़ाया जाएगा (एक बार में एक वर्ष)। किसी भी परिस्थिति में अनुबंध पांच साल से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा।

लाइसेंस शुल्क, विद्युत शुल्क एवं लाइसेंसधारी भवन के लिए अन्य प्रावधान

5. लाइसेंसधारक को हर महीने की प्रत्येक 7 तारीख तक नियमित रूप से लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा। हालांकि संस्थान के निर्णयानुसार उक्त लाइसेंस शुल्क में समय–समय पर परिवर्तन किया जा सकता है। सफाई शुल्क का भुगतान संस्थान मे मौजूदा दर के अनुसार अलग से करना होगा जोकि वर्तमान में रू0 250/– है। जीएसटी और अन्य सरकारी करों का भुगतान अतिरिक्त देय होगा।
6. यदि उपरोक्त अवधि के दौरान लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है तो लाइसेंसधारक को लाइलेंस शुल्क के अतिरिक्त संचयी आधार पर विलंब शुल्क के रूप में 100 प्रतिमाह के हिसाब से भुगतान करना होगा ।
7. लाइसेंसधारक को वास्तविक विद्युत उपभोग के आधार पर उस समय की विद्युत दर के हिसाब से संपदा कार्यालय में बिजली बिल का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त लाइसेंसधारक को मासिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान भी करना होगा। इस उद्देश्य हेतु संस्थान द्वारा आउटलेट/शॉप में एक विद्युत मीटर लगाया जाएगा। हालांकि बिजली की दरों में समय–समय पर परिवर्तन/संसोधन हो सकता है। ऐसी स्थिति मे लाइसेंसधारक को उस समय की परिवर्तित दरों के हिसाब से बिजली बिल का भुगतान करना होगा।
8. हालांकि यदि लाइसेंसधारक समय पर विद्युत बिल का भुगतान नहीं करता तो उसे वास्तविक देय (बिल) के अतिरिक्त उसका 5 प्रतिशत विलंब शुल्क के रूप में देना होगा। इसके अलावा, यदि बिजली की खपत का भुगतान तीन महीने तक बकाया है तो इस सम्बन्ध में कोई नोटिस दिए बिना बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा।
9. यदि लाइसेंसधारक द्वारा लाइसेंस शुल्क, विद्युत शुल्क एवं सफाई शुल्क का समय पर भुगतान नहीं किया जाता तो इसे अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में संस्थान अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए उल्लिखित अनुबंध को समाप्त कर सकता है।
10. लाइसेंसधारक संबंधित परिसर का प्रयोग जिस उद्देश्य के लिए संस्थान द्वारा उसे यह दिया गया है केवल उसी उद्देश्य के लिए कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि लाइसेंसधारक अन्य किसी दूसरे उद्देश्य के लिए परिसर का प्रयोग करता है तो उल्लिखित अनुबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा।
11. संपदा कार्यालय की पूर्व लिखित अनुमति के बगैर लाइसेंसधारक इस परिसर का इस्तेमाल आवासीय उद्देश्य अनुबंधित (जिस वस्तु को बेचने की अनुमति दी गई है, उनके अलावा किसी अन्य वस्तु को बेचना भी शामिल है) अथवा अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं करेगा। लाइसेंसधारक परिसर का इस्तेमाल ऐसे बुद्धिमानी एवं सावाधानीपूर्वक तरीके से करेगा जैसे कि यह परिसर उसका खुद का हो।

आउटलेट/शॉप का समय, मेन्यू, मूल्य, सुविधाएं एवं सेवाएं इत्यादि

12. आउटलेट/शॉप का समय पृष्ठ सं0 2 में उल्लिखित है। इस समयावधि के पश्चात आउटलेट/शॉप का संचालन करने के लिए संपदा कार्यालय की, छात्रावास के मामले में वार्डेन के माध्यम से, पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

13. आउटलेट/शॉप सप्ताह में सातों दिन संचालित की जाएगी तथा संपदा कार्यालय के पूर्व अनुदेश अथवा अनुमोदन के बगैर किसी भी परिस्थिति में कोई अवकाश नहीं रहेगा ।

14. कार्यावधि के दौरान अनुलग्नक–1 के भाग–3 में उल्लिखित सभी आइटम दुकान में उपलब्ध होना चाहिए। हालॉाकि, संस्थान सीईएमएमसी के माध्यम से मेन्यू/अनुलग्नक–1 में किसी भी आइटम को जोड़ या घटा सकता है। इस सम्बन्ध में सभी आदेष प्रभारी अधिकारी, सम्पदा द्वारा जारी किये जायेगें।

15. उम्मीद की जाती है कि अनुबंध की पूरी अवधि के दौरान अनुलग्नक–1 में दर्शाई गई समस्त वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहेगी। वस्तुओं की बाजार दर एवं आउटलेट/शॉप कर्मियों के वेतन में वृद्धि के कारण लाइसेंसधारक को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा। हालांकि सी.ई.एम.एम.सी. अपने विवेक तथा लाइसेंसप्रदाता एवं वार्डेन इंचार्ज के साथ परामर्श करके मूल्य सूचकांक, जैसा कि http://www-mospi-gov-in/# उत्तर प्रदेश शहरी क्षेत्र के लिए दर्शाया गया, में हुए संपूर्ण परिवर्तन के अनुपात में तिमाही आधार पर वस्तुओं की दरों में संसोधन कर सकती है। मूल्य सूचकांक तृतीय पक्ष के वस्तुओं पर लागू नहीं होगी। हालांकि, कीमतों में सभी प्रकार के परिवर्तन एक रुपये के गुणांक मे होंगे।

16. सभी आवश्यक फर्नीचर और अन्य मूलभूत सुविधाये लाइसेंसधारी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

17. भीम/यूपीआई, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, इत्यादि द्वारा भुगतान की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

18. अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के 10 दिन के भीतर उपयुक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए लाइसेंसधारक द्वारा (संस्थान के संचार विभाग के माध्यम से) 4 डिजिट वाला कैंपस टेलीफोन उपलब्ध होना चाहिए। टेलीफोन स्थापना एवं किराये के लिये शुल्क लाइसेंसधारक द्वारा वहन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अपना स्वयं का मोबाइल नम्बर भी रखना होगा ताकि जरूरत पड़ने पर संस्थान के अधिकारी संपर्क कर सकें।

19. लाइसेंसधारक द्वारा खाद्य पदार्थों की दर–सूची को प्रदर्शित करने वाले बोर्ड के उपरी किनारे पर इस 4 डिजिट कैंपस टेलीफोन का नम्बर दर्शाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, लाइसेंसधारक 12 इंच X 18 इंच का एक प्रदर्शक बोर्ड दुकान के बाहर लगायेगा जिसमें निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिएः

लाइसेंसधारक का नाम	:
दुकान सं0 एवं स्थान	:
मोबाइल नम्बर	:
टेलीफोन नम्बर	:
दुकान खुलने व बंद होने का समय	:
साप्ताहिक बंदी	:
लाइसेंस नम्बर	:
वैद्यता	:

20. सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जाना चाहिए। अग्निशामक (2 कि.ग्रा. एवं 4.5 कि.ग्रा. सूखा) एवं रेत से भरी हुई बाल्टी सुलभ जगह पर उपलब्ध तथा चालू हालत में होनी चाहिए। आपातकालीन नम्बरों को प्रमुख स्थलों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। आकस्मिक स्थिति के लिए प्राथमिक चिकित्सा संबंधी दवाईयां एवं अन्य समान आउटलेट/शॉप उपलब्ध होने चाहिए।

21. समस्त वस्तुओं एवं उनकी दरों से सम्बन्धित सूची को पठनीय फॉन्ट में दुकान/आउटलेट के प्रमुख स्थलों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। सामग्री एवं दर से सम्बन्धित मुद्रित प्रपत्र मेज पर भी उपलब्ध होनी चाहिए। उक्त प्रपत्र मांगे जाने पर ग्राहक को उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

22. लाइसेंसधारक को ग्राहकों की संतुष्टि के लिए उपयुक्त एवं निर्विघ्न सेवाएं उपलब्ध करानी होगीं ।

23. लाइसेंसधारक द्वारा परिसरवासियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं में किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए लाइसेंसधारक स्वयं उत्तरदायी होगा। संस्थान की इसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और न ही इस संबंध में होने वाली किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई में भागीदार होगा।

24. निविदा अनुबंध के अनुसार निर्धारित समस्त प्रकार की वस्तुएं हर समय आउटलेट/शॉप में उपलब्ध रहनी चाहिए। सूची में किसी भी प्रकार के परिवर्तन अर्थात् जोड़ या घटाव के लिए संबंधित वस्तु की दर के साथ संपदा कार्यालय से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

25. नगद भुगतान करने में असमर्थ ग्राहकों के लिए लाइसेंसधारक को स्वाइप मशीन उपलब्ध करानी होगी। इसके अतिरिक्त आउटलेट/शॉप के अन्दर UPI आधारित पेमेंट सिस्टम भी उपलब्ध कराना होगा। लाइसेंसधारक को स्क्रीन पर अपने VPA (वर्चुअल पेमेंट एड्रेस) अथवा Q-Code प्रदर्शित करना होगा ताकि ग्राहक UPI ऐप (भीम अथवा समकक्ष) के माध्यम से अपना भुगतान करने में समर्थ हो सके।

<u>वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) व अन्य करों की देयता</u>

26. लाइसेंसधारक आउटलेट/शॉप के अन्दर विक्रय की गई वस्तुओं पर संबंधित विभाग को जीएसटी के भुगतान के प्रति पूरी तरह से उत्तरदायी होगा। इस संबंध में संस्थान हर प्रकार की देयता से मुक्त समझा जाएगा।

27. इसके अतिरिक्त समय–समय पर लागू दर के हिसाब से लाइसेंसधारक को लाइसेंस शुल्क पर संस्थान को जीएसटी का भुगतान करना होगा। लाइसेंसधारक को लाइसेंस शुल्क के भुगतान करने पर संबंधित कार्यालय द्वारा लेखा उद्देश्यों हेतु जीएसटीआईएन सहित कर चालान रसीद जारी किया जाएगा।

28. लाइसेंसधारक को सरकार, स्थानीय प्राधिकारी तथा अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा समय–समय पर लगाए जाने वाले अन्य करों, वसूली तथा दूसरी विधिक देयताओं का भुगतान भी करना होगा।

29. लाइसेंसधारक आउटलेट/शॉप के आस–पास तथा परिसर में अन्य स्थलों पर लगे हुए पेड़–पौधों, झाडियों तथा पुष्पों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

30. लाइसेंसधारक संस्थान के संबंधित विभाग की पूर्व लिखित अनुमति के बगैर आउटलेट/शॉप मे न तो किसी भी प्रकार का फेर–बदल (तोड़–फोड़) करेगा और न ही इसके अन्दर फिटिंग अथवा इलेक्ट्रिकल इन्स्टालेशन को नुकसान पहुँचाएगा और न ही आउटलेट/शॉप के अन्दर अनधिकृत निर्माण अथवा विद्युत या जल आपूर्ति की लाइन में विस्तार करेगा।

<u>गुणवत्ता एवं स्वच्छता और साफ–सफाई</u>

31. दुकान/आउटलेट में विक्रय की जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।
32. लाइसेंसधारक दुकान/आउटलेट में तथा गोदाम में साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखेगा। साथ ही साथ फर्श, फर्नीचर इत्यादि को भी साफ–सुथरा रखेगा ताकि दुकान/आउटलेट के मानक एवं सौंदर्य को बरकरार रखा जा सके। लाइसेंसधारक को वस्तुओं के सुरक्षित भण्डारण हेतु स्वयं व्यवस्था करनी होगी।
33. आउटलेट/शॉप परिसर के अन्दर हवा एवं रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। आउटलेट/शॉप परिसर के बाहर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण अथवा सामान रखने की अनुमति नहीं होगी।
34. कूड़े–कचरे तथा अपशिष्ट पदार्थों की संस्थान के मानकों के अनुरूप व्यवस्था करनी होगी। हानिकारक कीड़े–मकोड़ों तथा चूहों को नियंत्रित करने की व्यवस्था नियमित अन्तराल मे की जानी चाहिए।
35. पुरानी/बासी और एक्सपायर्ड चीजें (जैसेः एक्सपायरी डेट के बाद) दुकान में नहीं रखनी चाहिए।
36. **प्लास्टिक की थैलियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है** तथा किसी भी परिस्थिति में इनका प्रयोग नहीं होगा। इनके स्थान पर कागज के बैग/प्लेट/कप के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

<u>सीईएमएमसी एवं संपदा कार्यालय के दिशा–निर्देश</u>

37. लाइसेंसधारक को अनुबंध व सम्पदा कार्यालय के दिशा–निर्देशों एवं सीईएमएमसी के माध्यम से निदेशक की संतुष्टि के अनुरूप कार्य करना होगा सीईएमएमसी निम्नलिखित के संबंध में समय–समय पर अनुदेश, विस्तृत दिशा–निर्देश तथा अन्य स्पष्टीकरण जारी कर सकती है।

- वृद्धि/विलोप अथवा विकल्प सहित व्यंजन सूची की दरों में किसी भी प्रकार का फेरबदल अथवा परिवर्तन।
- लाइसेंसधारक द्वारा साइट से कोई सामान हटाना एवं उस सामान के बदले अन्य सामान लाना।
- इसके पश्चात् प्रदान किए गए प्रावधान के संदर्भ में उसके द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति को काम से हटाना।
- कच्ची सामग्री, अन्य उपकरणों एवं बर्तनों का निरीक्षण।
- उचित साफसफाई, शुद्धता एवं स्वास्थ्यकर सम्बन्धी वातावरण का रखरखाव।

<u>खाना पकाने के लिए ईधन</u>

38. लाइसेंसधारी खाना पकाने के लिए केवल पीएनजी/इन्डक्शन का उपयोग करेगा और कोई अन्य साधन नहीं। तद्नुसार, लाइसेंसधारी सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड (सीयूजीएल) से वाणिज्यिक पीएनजी कनेक्शन प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा, जिसके पास संस्थान परिसर में स्थापित पीएनजी आपूर्ति लाइन है। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर का उपयोग केवल तब किया जा सकता है जब पीएनजी की आपूर्ति कुछ टूटने या कुछ अन्य कारणों से बाधित हो।

<u>कर्मचारियों की नियुक्ति</u>

39. आउटलेट/शॉप संचालित करने के लिए लाइसेंसधारक केवल ऐसे कर्मियों को ही नियुक्त करेगा जो अपने कार्य में कुशल, अनुभवी, आज्ञाकारी, सुशील,व्यवहार कुशल एवं नियमों को मानने वाला हो।
40. लाइसेंसधारक बच्चों तथा 18 साल से कम उम्र के कर्मियों की नियुक्ति नहीं करेगा।
41. सायः 6 बजे के उपरांत महिला कर्मियों को दुकान/आउटलेट के अन्दर कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।
42. आउटलेट/शॉप के अन्दर कार्य करने वाले कर्मियों को हमेशा अपने साथ पहचान पत्र रखना होगा। कर्मियों को यह पहचान पत्र लाइसेंसधारक द्वारा स्वयं के खर्च पर उपलब्ध कराना होगा। सुरक्षा कर्मियों एवं संस्थान के अन्य अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर आउटलेट/शॉप–कर्मी को यह पहचान पत्र दिखाना होगा।
43. कार्य अवधि के दौरान आउटलेट/शॉप के अन्दर सेवाएं देने वाले कर्मियों को लाइसेंसधारक स्वयं के खर्च पर यूनिफॉर्म उपलब्ध करायेगा। कार्य–अवधि के दौरान कर्मी साफ–सुथरे एवं व्यवस्थित तरीके से हमेशा उक्त यूनिफॉर्म के पहनकर रखेगा।
44. कर्मियों द्वारा आचरण तथा अनुशासन का कड़ाई से अनुपालन कराने की जिम्मेदारी पूर्णतया लाइसेंसधारककी ही होगी।
45. लाइसेंसधारक आचरण तथा अनुशासन का कड़ाई से अनुपालन न करने वाले कर्मी को आउटलेट/शॉप से निकालने के लिए बाध्य होगा तथा संस्थान प्रशासनिक अथवा अन्य कारणों से जिन कर्मियों को परिसर के अन्दर जारी रखना उपयुक्त नहीं समझता, उनके प्रवेश पूर्णतया वर्जित रहेगा।
46. लाइसेंसधारक अपने कर्मी को काम में लगाने, हटाने, निलंबित, निष्कासित, छटनी, बर्खास्ती एवं सेवामुक्त करने अथवा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए पूर्णरूप से स्वतंत्र होगा। लाइसेंसधारक अपने कर्मियों के संदर्भ में मालिक तथा नौकर के संबंधों के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा तथा संस्थान का उल्लिखित मामलों में किसी भी प्रकार का कोई सकोकार नहीं रहेगा ।
47. लाइसेंसधारक अपने कर्मियों से संबधित ऐसे किसी भी विवाद अथवा मामले, जिनको किसी फोरम अथवा न्यायालय में चुनौती दी जाती है, के प्रति पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा। लाइसेंसधारक को अन्य सांविधिक देयताओं के साथ–साथ उस समय लागू श्रम कानून के प्रावधानों के तहत देय समस्त देयताओं का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त न्यायालय के निर्णय के आधार पर नौकर–मालिक के संबंधों के कारण उत्पन्न अन्य समस्त प्रकार की देयताओं का भी लाइसेंसधारक को भुगतान करना होगा ।
48. यदि लाइसेंसधारक के किसी कर्मी की गैर–जिम्मेदाराना हरकतों (चाहे जानबूझकर अथवा अनजाने में) की वजह से संस्थान की सम्पत्ति को कोई नुकसान पहुँचता है तो इसकी भरपाई स्वयं लाइसेंसधारक को करनी होगी।

<u>सांविधिक बाध्यताओं एवं अन्य प्रावधानों का अनुपालन</u>

49. यह सर्वविदित है कि लाइसेंसधारक पर कई प्रकार के नियम एवं कानून लागू होते हैं और लाइसेंसधारक से यह उम्मीद की जाती है कि वह इन सभी नियम एवं कानूनों को अक्षरशः अनुपालन करेगा विशेषरूप से कर्मियों को न्यूनतम वेतन, कर्मचारी मुआवजा एवं

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

जीएसटी आदि से संबंधित नियम एवं कानूनों के संबंध में।

50. लाइसेंसी पूर्ण रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि वह परिसर के अन्दर ऐसा कोई भी उत्पाद नहीं बेचेगा जिसकी बिक्री सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 के तहत पूर्णरूप से प्रतिबंधित हो।
51. लाइसेंसधारक को श्रम कानून, कर्मचारी मुआवजा एवं न्यूनतम वेतन के साथ साथ नाप–तौल, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम सहित संस्थान द्वारा समय–समय पर लागू निर्देशों के अतिरिक्त समस्त अधिनियमों, नियमों, विनियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा । यदि लागू हो, अनुबन्ध होने पर, विक्रेता अनिवार्य रूप से एक सप्ताह के भीतर FSSAI लाइसेंस के लिए आवेदन करेगा और परिवीक्षा अवधि के अंत से पहले लाइसेंस प्राप्त करेगा। उसी की प्रति इस्टेट कार्यालय को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
52. लाइसेंसधारक को ऐसी आर्थिक क्षति की भरपाई करनी होगी जो समय–समय पर लाइसेंसधारक की गलती अथवा अन्य सांवधिक देयताओं के कारण उत्पन्न हो सकती है। इस क्षति में वेतन के रूप में कर्मियों की देयताएं, न्यायलय द्वारा दिया गया अर्थदंड एवं मुआवजा शामिल हो सकता है। यदि लाइसेंसधारक की विफलता के कारण संस्थान उक्त आर्थिक क्षति की भरपाई करता है तो ऐसी स्थिति में लाइसेंसधारक को संस्थान प्रशासन द्वारा इस संबध में जारी किये गये आदेश की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर संस्थान को इस राशि का भुगतान करना होगा। उल्लिखि राशि का भुगतान न करने की स्थिति में इस राशि की वसूली लाइसेंसधारक द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि से कर ली जाएगी।
53. संस्थानः सांविधिक प्रावधानों, नियमों और विनियमों, सरकारी प्राधिकारियों/नगर निगमों/न्यायलयों/अदालतों के आदेशों एवं निर्देशों से संबंधित समस्त मामलों, दावों, देयताओं एवं कानूनी फैसलों के साथ–साथ इस अनुबंध के समस्त प्रावधानों से पूरी तरीके से मुक्त एवं सुरक्षित रहेगा। यदि लाइसेंसधारक की विफलता अथवा उसके खिलाफ की गई कानूनी कार्रवाई के कारण संस्थान को किसी भी प्रकार की देयता वहन करनी पड़ती है तो फिर संस्थान लाइसेंसधारक से वित्तीय देयताओं की वसूली करने के साथ साथ उसके विरूद्ध उपयुक्त कानूनी कार्रवाई का निर्णय भी ले सकता है।
54. सी.ई.एम.एम.सी. के अध्यक्ष से विचार–विमर्श के पश्चात प्रभारी अधिकारी (संपदा) द्वारा जारी किए गये समस्त दिशा–निर्देशों/अनुदेशों का लाइसेंसधारक द्वारा अनुपालन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त लाइसेंसधारक द्वारा सुरक्षा/संरक्षा एवं अनुशासन से संबंधित सुरक्षा अधिकारियों द्वारा जारी किये गये आदेशों/अनुदेशों का भी पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
55. लाइसेंसधारक इस बात को भी सुनिश्चित करेगा कि न तो वह स्वयं और न ही उसका कोई कर्मचारी संस्थान परिसर के शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण को दूषित करेगा ।

<u>जमा प्रतिभूति</u>

56. लाइसेंसधारक को **FDR** के माध्यम से रू0 50,000/– (पचास हजार रूपये) की प्रतिभूति राषि जमा करनी होगी जो कि 'कुलसचिव भारतीय प्रौद्योगिकी कानपुर' के पक्ष में होनी चाहिए तथा कानपुर स्थित भारतीय स्टेट बैंक/भारतीय यूनियन बैंक या किसी अन्य अनुसूचित राष्ट्रीयकृत बैंक में देय हो। उक्त **FDR** की वैद्यता निविदा प्रकिया पूर्ण होने के पश्चात् 03 महीने की अवधि के लिए होनी चाहिए।
57. यदि किसी भी समय तथा किसी भी कारण से (जिसका कि पूर्व के अनुच्छेदों अथवा कहीं और पर उल्लेख किया गया हो) जमा प्रतिभूति राशि में कोई कमी आती है तो लाइसेंसधारक को इस संबंध में नोटिस प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के अन्दर एक अन्य FDR जमा करके इस कमी को पूरा करना होगा।
58. यदि इस अनुबंध के अनुच्छेद (दों) के अतिरिक्त अन्य कारणों से भी जमा प्रतिभूति राशि में कोई कमी आती है तो लाइसेंसधारक संपूर्ण जमा प्रतिभूति के बराबर राशि की क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। निदेशक को (जैसा कि उनके द्वारा संस्थान के सर्वश्रेष्ठ हित में उपयुक्त समझा जाएगा) निम्नलिखित कार्रवाई करने का अधिकार होगाः अनुबंध को रद्द करना (जिसकी सूचना सक्षम अधिकारी के माध्यम से लाइसेंसधारक को दी जाएगी)। ऐसे मामले में लाइसेंसधारक द्वारा जमा प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जाएगा और इसके निपटारे का पूर्ण अधिकार संस्थान के पास होगा। इसके अतिरिक्त जमा प्रतिभूति से अधिक राशि की वसूली करने के लिए संस्थान उपयुक्त समझे जाने वाली कोई भी कानूनी कार्रवाई को करने के लिए स्वतंत्र होगा।
59. यदि लाइसेंसधारक द्वारा इस अनुबंध की किसी ऐसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है जिसको संस्थान द्वारा गंभीरता से लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में संस्थान अपने विवेकाधिकार से लाइसेंसधारक द्वारा जमा की गई राशि को आंशिक अथवा पूर्णरूप में जब्त कर सकता है।

<u>शिकायत तंत्र</u>

60. लाइसेंसधारक को आउटलेट/शॉप के अन्दर अनिवार्यरूप से शिकायत पुस्तिका उपलब्ध करानी होगी जिसमें ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उक्त शिकायत पुस्तिका प्रत्येक महीने के प्रथम कार्य–दिवस पर वार्डेन–इन–चार्ज के माध्यम से संपदा कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।
61. लाइसेंसधारक द्वारा शिकायतों का निवारण प्राथमिक आधार पर किया जाएगा तथा शिकायत पुस्तिका सहित अनुपालन रिपोर्ट को संपदा कार्यालय में जमा करनी होगी।
62. लाइसेंसधारक को स्वयं की गलती एवं लापरवाही अथवा संस्थान या फिर सी.ई.एम.एम.सी. की ओर से शिकायत मिलने पर दण्ड अथवा अर्थदण्ड दिया जा सकता है। इस प्रकार का दण्ड शिकायत के स्वरूप के आधार पर प्रभारी अधिकारी (संपदा) द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रकार के मामलों में पहली बार 5,000, दूसरी बार 10,000 तथा तीसरी बार 20,000 रूपये की राशि या ऐसा ही उच्च अर्थदण्ड जोकि सीईएमएमसी/संस्थान द्वारा उपयुक्त समझाा जाएगा लगाया जा सकता है।
63. इसके पश्चात भी यदि इसी प्रकार की शिकायतों का मिलना जारी रहता है तो फिर संस्थान इस संबंध में संबंधित लाइसेंसधारक को और अधिक नोटिस दिये बिना उसके अनुबंध को सीधे–सीधे समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

<u>अनुबंध की समाप्ति</u>

64. कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी को कोई भी कारण बताए बिना 30 दिन का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकती है।
65. अनुबंध के अन्दर उल्लिखित हर एक प्रावधान के संदर्भ में यह अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

66. यदि यदि अनुबंध समाप्त किया जाता है या फिर यह समय से पूर्व समाप्त होता है तो लाइसेंसधारक को अनुबंध समाप्त होने से पूर्व 15 दिनों के अन्दर लाइसेंसधारी परिसर के खाली अधिपत्य को सौंपना होगा। यदि लाइसेंसधारक उल्लिखित अवधि के अन्दर परिसर के खाली अधिपत्य को सौंपने में विफल रहता है तो संस्थान को दण्डात्मक शुल्क प्रथम महीने के लिए परिसर की मौजूदा सामान्य लाइसेंस शुल्क दर का 50 गुना शुल्क देना होगा जो की दूसरे महीने से टेलीस्कोपिक विधि में बढ़ेगा उदाहरणार्थ दूसरे महीने के लिए–हर्जाना+हर्जाने का 10प्रतिशत, तीसरे महीने के लिए–हर्जाना+हर्जाने का 20 प्रतिशत, चौथे महीने के लिए–हर्जाना+हर्जाने का 40 प्रतिशत और इसी तरह, अनधिकृत कब्जे के पहले महीने के दौरान लगाए गए हर्जाने की दरों की अधिकतम सीमा 5 गुना तक या इस तरह के उच्च दर पर दण्ड का भुगतान करने के लिए अनुबंधित होगा जो संस्थान द्वारा अपने पूर्ण विवेक पर निर्धारित किया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में दण्डात्मक किराये पर प्रश्नचिन्ह नहीं किया जायेगा और यह इस अनुबंध की विशिष्ठ शर्त है।

67. इसके अतिरिक्त संस्थान के पास परिसर के अन्दर प्रवेश करने तथा इस अनुबंध के तहत लाइसेंस पर दिये गये परिसर पर आधिपत्य करने का पूर्ण अधिकार होगा और इसको कहीं पर भी चुनौती नहीं दी जाएगी । उक्त परिस्थिति उत्पन्न होने पर लाइसेंसधारकसे संबंधित समस्त सामान को जब्त कर लिया जाएगा तथा संस्थान के आदेश पर इस सामान को या तो बेच दिया जाएगा या फिर इसकी नीलामी कर दी जाएगी। यदि लाइसेंसधारक उल्लिखित स्थिति उत्पन्न होने पर संस्थान को परिसर का आधिप्तय नहीं सौंपता है तो फिर संस्थान अपनी स्वेच्छा से सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत किरायेदार बेदखली) अधिनियम 1971 के प्रावधानों के तहत लाइसेंसधारक के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकता है क्योंकि कि संपूर्ण परिसर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत शासित किया जाता है।

<u>अभिहस्तांतरण और उपकिराएदारी</u>

68. संस्थान की लिखित अनुमति के बगैर लाइसेंसधारक आवंटित परिसर अथवा इसके किसी भाग को अन्य किसी व्सक्ति के सुपुर्द नहीं करेगा और न ही इससे किसी प्रकार का लाभ इसके अंतर्गत हासिल करेगा। इस अनुबंध के तहत समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन स्वयं लाइसेंसधारक या फिर उसके अधिकृत एवं प्राधिकृत प्रतिनिधि(यों) द्वारा किया जाएगा। लाइसेंसधारक अपने कर्मियों के कार्यो, गलतियों एवं लापरवाहियों के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। उक्त समस्त कार्यों के लिए लाइसेंसधारक स्वयं जिम्मेदार माना जाएगा।

69. यदि कभी भी यह पाया जाता है कि लाइसेंसधारक द्वारा स्वयं के विवेकाधिकार (निर्णय) पर दुकान/आउटलेट को किराये पर अथवा किसी अन्य संस्था के सुपुर्द किया गया हो एवं इसके पश्चात् दिये गये परिसर को वापस ले लिया हो तथा/अथवा किसी दूसरी पार्टी को हस्तांतरित कर दिया हो ता अनुबंध को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा और आवंटित परिसर को संस्थान अपने कब्जे में ले लेगा।

70. भाड़े में दिए जाने की स्थिति साबित होने पर प्रथम महीने में हर्जाने की दरों की गणना दुगने हर्जाने के रूप में की जाएगी (जैसा कि खण्ड 66 में वर्णित है), द्वितीय महीने के लिए हर्जाने का दो गुना + दुगने हर्जाने का 10 प्रतिशत, तीसरे महीने के लिए हर्जाने का दो गुना + दुगने हर्जाने का 20 प्रतिशत, चौथे महीने के लिए हर्जाने का दो गुना+ दुगने हर्जाने का 40 प्रतिशत और इसी तरह, ऐसे मामलों में हर्जाने का अधिकतम 5 गुना तक सीमित।

71. दुकान/आउटलेट का समस्त कारोबार लाइसेंसधारक के नाम एवं उसके आदेश पर ही निष्पादित किया जाएगा।

72. लाइसेंसधारक अथवा उसके अधिकृत/सक्षम प्रतिनिधि दुकान/आउटलेट में हर समय उपलब्ध रहेंगे उसकी सुचना संपदा कार्यालय को पहले से लिखित में दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में दुकान/आउटलेट का कारोगार किसी अन्य व्यक्ति अथवा कम्पनी द्वारा नहीं किया जाएगा।

73. आमतौर पर लाइसेंसधारक अथवा उसके अधिकृत सक्षम व्यक्ति को दुकान/आउटलेट में मौजूद रहना होगा। हालांकि यदि किसी कारण से लाइसेंसधारक लगातार तीन दिन से अधिक समय तक दुकान/आउटलेट आने की स्थिति में नहीं है तो इस सम्बन्ध में सम्पदा कार्यालय की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। ऐसा न करने पर यह समझाा जाएगा कि लाइसेंसधारक द्वारा अनुबंध की अनिवार्य शर्तों का उल्लंघन किया गया है तथा इस स्थिति में उसके विरूद्ध उपर्युक्त कार्यवाही की जा सकती है। इस कार्यवाही में संस्थान के निर्णयानुसार पर्याप्त अर्थदण्ड भी शामिल हो सकता है।

<u>अनुबंध दस्तावेज एवं अन्य व्याख्याएं</u>

74. मूल अनुबंध संबंधी दस्तावेज संस्थान के पास रहेगें। हालांकि यदि लाइसेंसधारक चाहे तो अनुबंध संबंधी दस्तावेजों की छायाप्रति अपने पास रख सकता है।

75. अनुबंध संबंधी कई दस्तावेज एक–दूसरे के लिए परस्पर स्पष्ट किये गये हैं। हालांकि किसी भी प्रकार की अस्पष्टता एवं विसंगति उत्पन्न होने पर इसका स्पष्टीकरण (दिशा–निर्देशों सहित यदि कोई है) संस्थान द्वारा सक्षम अधिकारी के माध्यम से लाइसेंसधारक को प्रेषित किया जाएगा तथा इस स्पष्टीकरण को अंतिम एवं बाध्यकारी माना जाएगा एवं उक्त स्पष्टीकरणों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी।

<u>अधिकार क्षेत्र</u>

76. इस अनुबंध के तहत सभी मामले और विवाद केवल कानपुर नगर जिला अदालतों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर ....

निविदाकर्ता का पूरा नाम ....

पता ....

....

निविदाकर्ता
की
नवीन तस्वीर

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

आवेदन पत्र

अनुलग्नक–1
भाग–1

निविदाकर्ता का नाम ....

पिता का नाम ....

निविदाकर्ता का पता ....

टेलीफोन / मोबाइल नम्बर ....

ईमेल ....

आधार नम्बर (व्यक्ति की दशा में) ....

बयाना राशि का विवरण ....

(क) धनराशि ....

(ख) एफडीआर / टीडीआर / डीडी नं0 ....

(ग) दिनांक ....

(घ) बैंक और उसकी शाखा ....

जीएसटी नम्बर ....

पैन नम्बर ....

ईपीएफ कोड नम्बर (यदि हो) ....

ईएसआई कोड नम्बर (यदि हो) ....

कार्य अनुभव (वर्ष में) ....

गारंटर के रूप में दो जिम्मेदार व्यक्तियों का नाम और पताः

नाम	नाम ....
आधार नम्बर	आधार नम्बर ....
पता	पता ....
....	....

घोषणाः

मैं एतद घोषणा करता हूँः–

1. यदि उक्त परिसर में कोई नुकसान हो तो मैं सभी खर्चों का वहन करूँगा।
2. कि जब भी कोई नोटिस परिसर को खाली करने का दिया जाता है तो मैं उक्त परिसर को तत्काल खाली कर संस्थान को सौंप दूंगा।
3. कि मैं इस निविदा दस्तावेज के सभी नियमों और शर्तों को मनाने के लिए बाध्य हूँ।

दिनांकः..............................

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर ....

निविदाकर्ता का नाम ....

सील ....

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

भाग–2

निविदाकर्ता द्वारा भरा जाएगा

यदि निविदाकर्ता एक फ़र्म है		यदि निविदाकर्ता एक व्यक्ति है	
आयकर पंजीकरण प्रमाण पत्र / पैन नंबर: ________________		आयकर पंजीकरण प्रमाण पत्र / पैन नंबर: ________________	
पंजीकृत फर्म के पिछले एक साल के बैंक स्टेटमेंट दस्तावेज़ संलग्न: हां / नहीं		पंजीकृत फर्म के पिछले एक साल के बैंक स्टेटमेंट दस्तावेज़ संलग्न: हां / नहीं	
जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र / संख्या: ___________________ दस्तावेज संलग्न: हां / नहीं		जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र / संख्या: ___________________ दस्तावेज संलग्न: हां / नहीं	
फर्म पंजीकरण संख्या: ________________________ दस्तावेज संलग्न: हां / नहीं		फर्म पंजीकरण संख्या: ________________________ दस्तावेज संलग्न: हां / नहीं	
कर्मचारियों की संख्या______________________		कर्मचारियों की संख्या______________________	
ईपीएफ पंजीकरण संख्या: _______________________ दस्तावेज संलग्न: हां / नहीं		ईपीएफ पंजीकरण संख्या: _______________________ दस्तावेज संलग्न: हां / नहीं	
ईएसआईसी पंजीकरण संख्या: ____________________ दस्तावेज संलग्न: हां / नहीं		ईएसआईसी पंजीकरण संख्या: ____________________ दस्तावेज संलग्न: हां / नहीं	
अनुभव के वर्षों की संख्या: ____________________ दस्तावेज संलग्न: हां / नहीं		अनुभव के वर्षों की संख्या: ____________________ दस्तावेज संलग्न: हां / नहीं	
क्या कभी सरकारी / अर्ध-सरकारी / स्वायत्त निकाय और प्रतिष्ठित संस्थान में काम किया है? हाँ / नही ______________		क्या कभी सरकारी / अर्ध-सरकारी / स्वायत्त निकाय और प्रतिष्ठित संस्थान में काम किया है? हाँ / नही ______________	
सरकारी / अर्ध-सरकारी / स्वायत्त निकाय और संस्थान के नाम जहां आखिरी में / वर्तमान में काम कर रहे हैं।		सरकारी / अर्ध-सरकारी / स्वायत्त निकाय और संस्थान के नाम जहां आखिरी में / वर्तमान में काम कर रहे हैं।	
संस्थान का नाम	अनुभव वर्ष	संस्थान का नाम	अनुभव वर्ष
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
अन्य वैधानिक पंजीकरण /लाइसेंस, यदि कोई हो।		अन्य वैधानिक पंजीकरण /लाइसेंस, यदि कोई हो।	
फर्म की तरफ से बोली लगाने वाले व्यक्ति के मामले में , प्राधिकरण पत्र संलग्न करें :.हां / नहीं		फर्म की तरफ से बोली लगाने वाले व्यक्ति के मामले में , प्राधिकरण पत्र संलग्न करें :.हां / नहीं	
एफडीआर/टीडीआर/डीडी संख्या: _______________________ जारीकर्ता बैंक का नाम: _______________________________ जारी करने की तारीख: ________________________________		एफडीआर/टीडीआर/डीडी संख्या: _______________________ जारीकर्ता बैंक का नाम: _______________________________ जारी करने की तारीख: ________________________________	
		आधार संख्या: _________________________________ दस्तावेज संलग्न: हां / नहीं	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

भाग-3

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर
सम्पदा कार्यालय

छात्रावास-2 की कैंटीन मे बेची जाने वाली बस्तुओं की मूल्य सूची

(कीमतों मे जीएसटी एवं अन्य कर शामिल होने चाहिए)

Sl#	Name of items	Unit	Rate (Rupees)	
			In number	In word
		DRINKS		
1.	Tea	100 ml		
2.	Black Tea	100 ml		
3.	Lemon Tea	100 ml		
4.	Green Tea	100 ml		
5.	Plain Milk	200 ml		
6.	Lemonade	200 ml		
		COLD DRINKS / BEVERAGES		
7.	Milk Shake	200ml		
8.	Hot/Cold Bournvita	200ml		
9.	Jal - Jeera	200 ml		
10.	Badam Shake	200ml		
11.	Cold Coffee	200ml		
12.	Black Coffee	100 ml		
13.	Lemon/Masala Soda	200ml		
14.	Cold Coffee with Ice-Cream	200 ml		
15.	Ice-Cream(all popular brands)	On MRP		
16.	Cold drink (all popular brands like Coca-Cola, Pepsi, Amul etc.)	On MRP		
		VEG MEAL		
17.	Kadai Paneer	200gm		
18.	Paneer butter masala	200gm		
19.	Shahi Paneer	200gm		
20.	Handi Paneer	200gm		
21.	Chilly Paneer	200gm		
22.	Paneer do pyaza	200gm		
23.	Garlic Paneer	200gm		
24.	Mumtaz Paneer	200gm		
25.	Paneer Bhurji	200gm		
26.	Palak Paneer	200gm		
27.	Methi Malai Paneer	200gm		
28.	Aloo gobhi fry	200gm		
29.	Bhindi Pyaz fry	200gm		
30.	Aloo Matar	200gm		
31.	Aloo Pyaz Fry	200gm		
32.	Aloo ka Bharta	200gm		
33.	Baigan ka Bharta	200gm		
34.	Aloo Tamatar	200gm		
35.	Gobhi Fry	200gm		
36.	Veg Munchurian	200gm		
37.	Mushroom curry	200gm		
38.	Aloo Dum	200gm		
39.	Shimla Pyaz Fry	200gm		

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

Sl#	Name of items	Unit	Rate (Rupees)	
			In number	In word
40.	Mix Grill	200gm		
41.	Paneer Mushroom Fry	200gm		
42.	Matar Paneer	200gm		
43.	Malai Kofta	200gm		
44.	Cheese Malai Kofta	200gm		
45.	Dal Fry	200gm		
46.	Dal Tadka	200gm		
47.	Dahi	200gm		
48.	Cholla Masala	200gm		
49.	Matar Mushroom	200gm		
50.	Paneer Tikka Masala	200gm		
51.	Tawa Paneer	200gm		
52.	Paneer Pasanda	200gm		
53.	Khoya Paneer	200gm		
54.	Pindi Chana Masala	200gm		
55.	Daal Chawal Butter Mix	200gm		
56.	Veg Kabab Paratha	2 Kabab & 2 paratha		
57.	Rajma	200 gm		
58.	Raita	50 gm		
NON-VEG MEAL AND SNACKS				
59.	Chicken Curry	200gm		
60.	Chicken Biryani	300gm		
61.	Green Chilly Chicken	200gm		
62.	Chicken Butter Masala	200gm		
63.	Chicken Korma	200gm		
64.	Chicken Roll	1 roll		
65.	Chicken Mughlai	200gm		
66.	Chicken Do pyaza	200gm		
67.	Chicken Hyderabadi	200gm		
68.	Chicken Masala	200gm		
69.	Chicken Korma	200gm		
70.	Chicken Afghani	200gm		
71.	Navratni Chicken	200gm		
72.	Handi Chicken	200gm		
73.	Mumtaz Chicken	200gm		
74.	Chicken kaali mirch	200gm		
75.	Fried Chicken Wings	200gm		
76.	Chicken Lollipop	200gm		
77.	Kadai Chicken	200gm		
78.	Shahi Egg Curry	200gm		
79.	Egg Bhurji	200gm		
80.	Fish Fry	200gm		
81.	Mutton Curry	200gm		
82.	Kabab Paratha	2 Kabab & 2 paratha		
SANDWICHES AND SNACKS				
83.	Cheese Tomato Sandwich	4 breads		
84.	Butter Toast	4 breads		

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

Sl#	Name of items	Unit	Rate (Rupees)	
			In number	In word
85.	Bun Butter	Per piece		
86.	Bombay Sandwich	4 breads		
87.	Grilled Cheese Sandwich	4 breads		
88.	Paneer Sandwich	4 breads		
89.	Tomato Onion Sandwich	4 breads		
90.	Bread Omelet	4 breads		
91.	Veg roll	Per piece		
92.	Paneer Roll	1 roll		
93.	Kabab Roll	1 roll		
94.	Bread Roll	1 roll		
95.	Egg Roll	Per piece		
96.	Egg Sandwich	4 bread		
97.	BBC	1 piece		
98.	Macaroni	Per piece		
99.	Cheese Macaroni	Per piece		
100.	Chicken Macaroni	Per piece		
101.	Chowmein	150gm		
102.	Red Pasta	150 gm		
103.	Red Sauce Pasta (with Cheese)	150 gm		
104.	White Pasta	150 gm		
105.	White Cream Pasta (with Cheese)	150 gm		
106.	Egg Chowmein	200 gm		
107.	Pavbhaji with 4 slices Pav	280gm		
108.	Burger	Per piece		
109.	Chat	130gm		
110.	Bhel Puri	200 gm		
111.	Maggi(Veg)	₹10/- per pkt		
112.	Chilli Maggi	₹10/- per pkt		
113.	Special Maggi Fry	₹10/- per pkt		
114.	Plain Dosa	per piece		
115.	Onion Masala Dosa	per piece		
116.	Paneer Dosa	per piece		
117.	Plain Uttpam	per piece		
118.	Onion Uttapam	per piece		
119.	Poha	200 gm		
120.	Chicken Nuggets	per 8 pieces		
121.	French Fries	100gm		
122.	Boiled Egg	per piece		
123.	Samosa	per piece		
124.	Idli Sambhar	per piece		
125.	Cheese/Paneer/Aloo/ Mix/Bread Pakoda	per piece		
126.	Momos	per piece		
127.	Veg Cutlet	per piece		
128.	Pastries(different flavours)	per piece		
	PARATHA & ROTI			
129.	Roti	Per piece		
130.	Tandoori Roti	Per piece		
131.	Missi Roti	Per piece		

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

Sl#	Name of items	Unit	Rate (Rupees)	
			In number	In word
132.	Rumali Roti	Per piece		
133.	Tandoori Naan	Per piece		
134.	Lachha Paratha	Per piece		
135.	Aloo Pyaz Paratha	Per piece		
136.	Aloo Paratha	Per piece		
137.	Gobhi Paratha	Per piece		
138.	Pyaz Paratha	Per piece		
139.	Mix Paratha	Per piece		
140.	Paneer Paratha	Per piece		
141.	Cheese Paratha	Per piece		
142.	Egg Paratha	Per piece		
143.	Kulcha	Per piece		
144.	Paneer Kulcha	Per piece		
145.	Mix Kulcha	Per piece		
146.	Keema Kulcha	Per piece		
COLD DRINKS/BEVERAGES				
147.	Milk Shake	200ml		
148.	Cold Bournvita	200ml		
149.	Badam Shake	200ml		
150.	Cold Coffee	200ml		
151.	Cold drink (Coca-Cola, Pepsi)	On MRP		
RICE AND BIRYANI				
152.	Plain Rice	250gm		
153.	Jeera Rice	250gm		
154.	Lemon Rice	250gm		
155.	Pyaz Tamatar Rice	250gm		
156.	Veg Biryani	300gm		
157.	Veg Pulao	300gm		
158.	Paneer Butter Rice	300gm		
159.	Veg Fried Rice	300gm		
160.	Egg Biryani	300gm		
161.	Mutton Biryani	300gm		
162.	Chicken Fried Rice	300gm		
163.	Chicken Butter Rice	300gm		
SOUP				
164.	Tomato Soup	200 ml		
165.	Veg Soup	200 ml		
SPECIAL THALI				
166.	Special Thali [2 type of vegetables, rice, salad, dal, 4 chapati & sweet dish (mention sweet dish name and quantity)	Per Thali		

दिनांक:________________ **निविदाकर्ता के हस्ताक्षर:** ______________________________

निविदाकर्ता का नाम: ______________________________

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

foRrh;@eY; cksyh

Hkkjrh; izkS|ksfxdh laLFkku dkuiqj

Nk=kokl&II esa dSaVhu pykus ds fy,

अ) अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रश्नगत कैंटीन के लिए रु०__________ (रुपये __________________________) प्रति वर्ग मीटर लाइसेंस शुल्क के भुगतान का प्रस्ताव देता हैं, जैसा कि बोली दस्तावेज में इंगित हैं।

ब) मैं इससे सहमत हूँ कि लाइसेंसधारक (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर) परिसर के कुल क्षेत्रफल के अनुसार लाइसेंस शुल्क को अगले सौ रुपये के गुणांक में राउंड ऑफ करने का अधिकार होगा।

स) मैं इससे भी सहमत हूँ कि लाइसेंसधारक विधिवत रूप से प्रति वर्ष लाइसेंस शुल्क में 5% की वृद्धि के हकदार होंगे जो कि पूर्व कि भांति (जैसा कि ऊपर 'ब' में गणना की गई है) राउंड ऑफ किया जायेगा।

दिनांक: ______________

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर_____________________

निविदाकर्ता का नाम_______________________

मोहर

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर